2. 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971–
इसके द्वारा यह नियम बना दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिये बाध्य है।

3. 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976– यह संशोधन मुख्यत: **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिशों का मूर्त रूप था। यह व्यापक संविधान संशोधन है और कई कारणों से चर्चित एवं विवादित रहा। इसके माध्यम से कुल 53 अनुच्छेद और सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गए। इसके माध्यम से संविधान का व्यापक पुनरीक्षण किया गया और कई आधारभूत महत्व के उपबंधों को बदला गया। इन्हीं कारणां से इस संविधान संशोधन को **'लघु संविधान'** भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-

• संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द जोड़े गए।
• संविधान में अनुच्छेद 51(क) अंत:स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।
• लोकसभा और विधानसभाओं की समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
• अनुच्छेद 74 को संशोधित करके यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

14. 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011–
इसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(क) संविधान में भाग 9(ख) सहकारी समितियाँ जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों के गठन, विनिमयन, विघटन से संबंधित उपबंध है।
(ख) नीति-निर्देशक तत्वों (भाग-4) के अंतर्गत अनुच्छेद 43(ख) जोड़ा गया जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निर्देष देता है।
(ग) अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत संघ बनाने के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार मूल अधिकार माना गया।

15. 100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015–
इसके तहत कुछ क्षेत्र का भारत और बांग्नादेश के मध्य आदान-प्रदान हुआ और बांग्लादेश के जो हिस्से भारत में आए उनमें रहने वालों की भारतीय नागरिकता दी गई।

16. 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016-
इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 279क के अनुसार जीएसटी काउंसिल का गठन हो जुका है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 366, 368 में संशोधन किया गया। छठी अनुसूची एवं सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण (Different stages of the procedure of amendment of the Constitution)

संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्न हैं-

- संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश/पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।
- विशेष बहुमत की शर्त सभी प्रक्रमों पर लागू होती है जैसे-विधेयक पर विचार, विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाना, मूल विधेयक में सेशोधन तथा विधेयक पारित किया जाना आदि।
- विशेष स्थिति में विधेयक को आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा।
- यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधेयक को लेकर किसी प्रकार की असहमति है तो संयुक्त बैठक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
- पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा। इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की कोई वीटो पावर प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति अपनी

अनुमति देने के लिये बाध्य है अर्थात् उसे हर हालात में इस विधेयक को अपनी अनुमति देनी ही होगी।

आधारभूत ढाँचा (Basic structure)

- कुछ देशों के संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि किन-किन उपबंधों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के उपबंधों को सुरक्षित या असंशोधनीय उपपबंध कहते हैं।
- संविधान संशोधन की शक्ति पर जो मर्यादायें संविधान मंे ही निर्दिष्ट कर दी जाती हैं उन्हें अभिव्यक्त मर्यादायें कहते हैं। कुछ संविधानों में ये मर्यादायें नहीं बतायी जाती अपितु ये मर्यादायें न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं, इन्हें 'विवक्षित मर्यादायें' कहते हैं।
- भारतीय संविधान के जो आधारभूत लक्षण निर्धारित किये गए हैं, वह एक विवक्षित मर्यादा है क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सवौच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में, जिनमें से 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' प्रमुख हैं, यह बताया है कि संविधान के आधारभूत ढाँचे में कौन-कौन से तत्व उपस्थित हैं। यह सूची अंतिम नहीं है अपितु न्यायालय समय-समय पर इस सूची में तत्वों को शामिल करता रहा है और आगे भी कर सकता है।

- 'एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) को न केवल आधारभूत ढाँचे का तत्तव माना अपितु धर्मनिरपेक्षता (पंथनिरपेक्षता) की व्याख्या भी की।
- 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले' में सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्यायिक पुनरावलोकन' को आधारभूत ढाँचे का अंग माना।
- उच्चतम न्यायालय ने अब तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान के आधारभूत ढाँचे में शामिल किया है-
  - o विधिसम्मत शासन (रूल ऑफ लॉ)
  - o संविधान की सर्वोच्चता
  - o राजव्यवस्था का प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र होना
  - o शक्तियों का पृथक्करण का सिंद्धांत
  - o शासन की संसदीय प्रणाली
  - o न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति
  - o संसद की संविधान का संशोधन करने की सीमित शक्ति
  - o समता का सिद्धांत
  - o संविधान का संघात्मक ढाँचा
  - o स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन
  - o सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य
  - o राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप
  - o मूल अधिकार व नीति-निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन

8. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992–
संविधान में 11वी अनुसूची शामिल किया गया और पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

9. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992–
संविधान में भाग 9(क) और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा नगर निकायों को शासन की स्वायत्त इकाई के रूप में मान्यता दी गई।

10. 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002–
प्राथमिक शिक्षा से जुड़े इस संशोधन विधेयक द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(क) संविधान में एक नया अनुच्छेद 21(क) को स्थापित करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा' को मूल अधिकार बना दिया गया।
(ख) अनुच्छेद 45 में संशोधन करके यह लियाा गया कि- राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे छ: वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रयास करेगा।
(ग) मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें बताया गया कि, "माता-पिता और संरक्षक अपने 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिये यथासंभव शिक्षा प्राप्त कराएंगे।"

11. 89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003–
इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338(क) अंत:स्थापित करके 'अनुसूचित जनजातियों' के लिये राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

12. 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003–
इस संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
(क) मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित), लोकसभा या विधानसभा क समस्त सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
(ख) किसी दल का अन्य दल में विलय तभी मान्य है जब उसके कम से कम दो तिहाई (2/3) सदस्य यह निर्णय लेते हैं।
(ग) दल-बदल करने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्री या सवेतन राजनीतिक पद धारण करने के योग्य नहीं रहेगा। यह निरर्हता तब तक बनी रहेगी जब तक सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती हया वह किसी सदन के लिये निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता था वह किसी सदन के लिये निर्वाचन में भाग नहीं लेता, इनमें से जो भी पहले हो।

13. 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003–
इसके द्वारा आठवीं अनुसूची में 4 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार अब आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं।

संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति (Power of parliament to amend the consitution)

संविधान के आधारभूत लक्षणों की स्थापना के पश्चात् यह तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, वह असीमित नहीं है। वर्तमान समय में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति इस प्रकार है-

- संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है परंतु यह शक्ति आधारभूत ढाँचे की 'विवक्षित परिसीमा' से बँधी हुई है। न्यायालय को यह तय करने की शक्ति है कि संसद द्वारा किया गया संशोधन संविधान के 'आधरभूत ढाँचे' के विरुद्ध है या नहीं।
- संविधान संशोधन की वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 13 के संदर्भ में नहीं किया जा सकता।
- संसद, संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में दी गई अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि 'संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति' आधारभूत ढाँचे का तत्व है।
- आधारभूत ढाँचे के आधर पर न्यायालय उन्हीं संशोधनों को खारिज कर सकता है जो 24 अपैल, 1973 (केशवानंद भारती की निर्णय तिथि) के बाद पारित किये गए हों।

- किसी विशय को यदि संसद 9वी अनुसूची में 24 अप्रैल, 1973 के बाद शामिल करती है तो उस पर इस आधार पर आक्षेप हो सकेगा कि वह आधारभूत ढाँचे के विपरीत है।
- संशोधन के लिये जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह आवश्यक है। यदि उसका पालन न किया गया तो संशोधन अविधिमान्य हो जाएगा।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिये यदि संविधान का संशाधन किया जाता है तो उससे आधारभूत ढाँचे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- इस संपूर्ण स्थिति में परिवर्तन तभी संभव है जब 13 या 13 से अधिक न्यायाधीशों की कोई न्यायपीठ केशवानंद भारती मामले का निर्णय पलट दे और आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत को अवैध घोषित कर दे।

प्रमुख संविधान संशोधन (Major constitutional amendments)

1. 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956–
इसके द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों की माँग का समाधान करने के लिये 'राज्य पुनर्गठन आयेग' की रिपोर्ट को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया और पूरे भारत को 14 राज्यों व 6 संघ राज्य-क्षेत्रों में बाँट दिया गया।

• लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पुन: 5 वर्ष कर दिया गया।
• न्यायालय को उसकी कुछ शक्तियाँ पुन: प्रदान की गई।
• इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत 'आपात की उद्घोषणा' में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(क) 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र' विद्रोह को आधर बनाया गया।
(ख) आपात की उद्घोषणा के लिये मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया।
(ग) उद्घोषणा को 2 माह और सामान्य बहुमत के बजाय 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से पारित होना अनिवार्य किया गया। साथ ही हर 6 माह बाद पुन: अनुमोदन को अनिवार्य बनाया गया।

5. 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985– इसके द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल करके 'दल-बदल कानून' को मान्यता प्रदान की गई।

6. 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989- साधारण चुनावों में मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

7. 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991– संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली में मंत्रियों की संख्या 10% कर दी गई।

• यह निर्धारित किया गया कि यदि संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करती है तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधर पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।
• राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के आधार पर भारत के किसी क्षेत्र विशेष के लिये भी 'आपात की उद्घोषणा' कर सकता है।
• सातवीं सनुसूची में संशोधन कर 'राज्य सूची' में कुछ नई प्रविष्टियाँ शामिल की गई तथा 'राज्य सूची' की कुछ प्रविष्टियों को जैसे – शिक्षा, नाप-तौल, वन आदि को 'समवर्ती सूची' का विषय बनाया गया।

4. 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978–
इसका वास्तविक उद्देश्य 42वे संशोधन द्वारा संविधान मे ंकिये गए व्यापक परिवर्तनों को निरसित कर संविधान को उसके मूल स्वरूप में लाना था। इसके द्वारा किये गए परिवर्तनों में से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं-
• संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकरा की जगह कानूनी अधिकार बना दिया गया।
• अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जाँच का अधिकार पुन: सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। (39वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया था)
• राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिये कह सकेगा और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने को बाध्य होगा।